

गोरखपुर ब्यूरो Updated Fri, 12 Oct 2018 10:48 PM IST

Home › Uttar Pradesh › Sant Kabir Nagar › भारी मात्रा में नकली शराब बरामद, सात गिरफ्तार



बरामद हुई शराब - फोटो : Amar Ujala

संतकबीरनगर। कोतवाली खलीलाबाद और दुधारा पुलिस ने अलग-अलग जगहों से भारी मात्रा में नकली शराब व ब्रांडेड कंपनियों का रैपर बरामद किया है। दोनों जगहों से नकली शराब के साथ सात लोग पकड़े गए हैं, जिन्हें जेल भेज दिया गया है। यह जानकारी एसपी आकाश तोमर ने दी है। उन्होंने नकली शराब की बरामदगी पर दोनों थानों के पुलिस को 25-25 हजार रुपये इनाम देने की बात कही है।

एसपी आकाश तोमर ने बताया कि एसओ दुधारा करुणाकर पांडेय ने मुखबिर की सूचना पर 11 अक्टूबर को जूनियर हाईस्कूल भगौसा के पास से फूलचंद व रामलखन निवासी भगौसा थाना दुधारा और महेश निवासी मैलानी थाना कोतवाली को गिरफ्तार किया। तलाशी में इनके पास से 111 शीशी देशी शराब, दो चाकू, एक शबरी और एक लोहे की राड बरामद हुई। इन अभियुक्तों पर विभिन्न थानों में आबकारी अधिनियम का केस दर्ज है। पकड़े गए अभियुक्तों ने बताया कि कुछ दिन पूर्व महुवार चौराहा थाना रूधौली जनपद बस्ती से देशी शराब की दुकान का ताला तोड़कर शराब की शीशी चोरी किए थे, जिसे वे बेचने जा रहे थे। उन्होंने बताया कि पकड़े गए तीनों अभियुक्तों को जेल भेज दिया गया है। इसी क्रम में कोतवाल सुधीर कुमार सिंह और स्वाट टीम प्रभारी प्रदीप कुमार सिंह ने 12 अक्टूबर को बूधा चौराहे से महेंद्र चौधरी निवासी राजाजोत थाना कप्तानगंज बस्ती और रजत सेनी निवासी तेलियागढ़ थाना गोसाईगंज को गिरफ्तार किया। उनके पास से 30 शीशी नकली देशी शराब बंटी बबली ब्रांड एवं 1900 बंटी बबली व कैटरीना ब्रांड का रैपर बरामद हुआ। उनकी निशानदेही पर टेमा पुल से कृष्ण कन्हैया मौर्य निवासी पडरी थाना सोनहा बस्ती और विमल कुमार जायसवाल निवासी मोहम्मदनगर थाना सोनहा बस्ती को गिरफ्तार किया गया। उनके पास से 20 गैलन में 400 लीटर अवैध शराब व बिना नंबर की बाइक बरामद हुआ। पकड़े गए लोगों ने बताया कि वे नकली शराब पर ब्रांडेड कंपनी के रैपर लगाकर पूर्वांचल और बिहार में शराब की तस्करी करते हैं। पकड़े गए लोगों को जेल भेज दिया गया है।